BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विधानपरिषद् (Legislative Council)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार, "संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राज्य में विधानपरिषद् की स्थापना अथवा अन्त कर दे, यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत व उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करे।" वर्त्तमान में केवल 6 राज्यों – कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आन्ध्रप्रदेश तथा तेलंगाना में विधानपरिषद् है।

विधानपरिषद् की संरचना

1. **सदस्य संख्या** – प्रत्येक राज्य का द्वितीय सदन अथवा उच्च सदन विधानपरिषद् होता है। संविधान के अनुच्छेद 171(1) के अनुसार, राज्य के विधानपरषिद् के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अधिक नहीं होगी परन्तु किसी राज्य की विधानपरिषद् के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी।
2. **सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन** – विधानपरिषद् के लगभग 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है तथा शेष 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधानपरिषद् के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तथा इसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्वति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।

(i) विधानपरिषद् के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मण्डल द्वारा होता है।

(ii) 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

(iii) 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय स्नातकों से निर्वाचित होंगे, जो कम–से–कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके होंगे।

(iv) 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा चुने जायेंगे, जो राज्य के किसी माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक या उच्च शिक्षा संस्थान में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं।

(v) 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो राज्य के साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रूचि रखते हो।

3. **विधानपरिषद् सदस्यों की योग्यताएँ** – विधानपरिषद् सदस्य के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गई है।

   (i) वह भारत का नागरिक हो।

   (ii) 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

   (iii) किसी न्यायालय द्वारा पागल, दिवालिया न घोषित किया गया हो।

   (iv) संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ रखता हो।

   (v) संसद द्वारा बनाये गए किसी कानून के अनुसार विधानसभा के लिए अयोग्य न हो साथ ही राज्य विधानमण्डल का सदस्य होने की पात्रता हेतु उसका नाम राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में होना चाहिए।

4. **विधानपरिषद् सदस्यों का कार्यकाल, वेतन एवं भत्ते** – विधानपरिषद् विधानमण्डल का एक स्थायी सदन है। इसको राज्यपाल द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है। विधानपरिषद् के सदस्य 6 वर्षो के लिए चुने जाते हैं लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और उनके स्थान पर नये सदस्य चुने जाते हैं। विधानपरिषद् के सदस्यों को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो राज्य विधानमण्डल विधि द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

विधानपरिषद् के कार्य और शक्तियॉ – विधानपरिषद् की कार्य और शक्तियॉ निम्नलिखित है :–

1. विधानपरिषद् धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। यदि 14 दिनों के भीतर विधानपरिषद् अपनी सिफारिशों सहित विधेयक विधानसभा में नहीं लौटाती है तो

वह विधेयक दोनो सदनों से पारित समझा जाता है जिस रूप में विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।

2. सामान्य विधेयक विधानपरिषद् में पेश किया जा सकता है परन्तु सामान्य विधेयक पर अन्तिम शक्ति विधानसभा के पास है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पहली बार में विधानपरिषद् 3 माह तक रोक सकती है। यदि 3 माह बाद विधानसभा पुनः विधेयक को पारित कर दे, तो सामान्य विधेयक को विधानपरिषद् एक माह तक और रोक सकती है।
3. जिस संशोधन विधेयक में राज्य विधानमण्डल का समर्थन आवश्यक है, उनमें विधानपरिषद् भी भाग लेती है।
4. विधानपरिषद् के सदस्य मंत्रिपरिषद् के सदस्य हो सकते हैं। विधानपरिषद् प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वाद–विवाद के आधार पर मंत्रिपरिषद् को नियंत्रित कर सकती है परन्तु उसे मंत्रिपरिषद् को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य केवल विधानसभा द्वारा ही किया जा सकता है।

विधानपरिषद् के पदाधिकारी – विधानपरिषद् के दो प्रमुख अधिकारी सभापति एवं उपसभापति होते हैं। विधानपरिषद् सदस्य अपने में से ही सभापति एवं एक अन्य को उपसभापति चुनते हैं।